24.05.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र 109ग पर आदेश हेतु नियत है। सभी पक्षों को पूर्व में प्रार्थना–पत्र 109ग के सम्बन्ध में सुना जा चुका है।

प्रार्थना–पत्र 109ग प्रतिवादी सं0 4 ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि यह मुकदमा न्यायालय सिविल जज, सी0डि0, वाराणसी में दाखिल किया गया था। प्रतिवादी सं0 4 की तरफ से एक प्रार्थना–पत्र 35ग इस वाद की पोषणीयता के सम्बन्ध में दाखिल किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना की गयी थी कि इस वाद का वाद पत्र निरस्त होने लायक है। अतः वाद–पत्र को निरस्त किया जाये। सिविल जज, सी0डि0, वाराणसी ने आदेश दिनांकित 08.04.2022 पारित करते हुए यह अवधारित किया था कि आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में दी गयी विधि व्यवस्था वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न है। अतः मौके की कमीशन रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र 13ग व 28ग स्वीकार कर लिया गया था। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांकित 08.04.2022 को जरिये रिट याचिका चुनौती दी गयी थी जो दिनांक 21.04.2022 को खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.04.2022 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 सं0 9388 वर्ष 2022 योजित की गयी। इसी बीच सिविल जज, सी0डि0, वाराणसी द्वारा दिनांक 16.05.2022 को वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन एडवोकेट के एक औपचारिक प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करते हुए कथित रूप से शिवलिंग मिलने की महज धारणा के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित पानी के हौज व फव्वारे को सील करने का आदेश बिना क्षेत्राधिकार के और बिना कमीशन रिपोर्ट आये पारित कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन याचिका सं0 9388/2022 में दिनांक 16.05.2022 के आदेश को भी शामिल करते हुए चुनौती दी गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.05.2022 को आदेश पारित करते हुए उक्त मुकदमे को सिविल जज, सी0डि0, वाराणसी के न्यायालय से न्यायालय जिला जज, वाराणसी को

WWW.LIVELAW.IN

स्थानांतरित कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.05.2022 को
पारित करते हुए जो दिशा–निर्देश दिये है उसके अनुसार परिवादी द्वारा
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, कागज सं0 35ग की सुनवाई प्राथमिकता
आधार पर पहले की जानी चाहिये। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित
दिनांकित 20.05.2022 के अनुपालन हेतु इसमें दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार
प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र 35ग पर प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम
सुनवाई की जाये।

प्रार्थना–पत्र 109ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक आपत्ति करते हुए
तर्क दिया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी, न्यायालय सिविल जज, सी0डि0, वाराणसी ने
आदेश दिनांकित 19.05.2022 पारित करते हुए उल्लेख किया है कि "प्रातः 10.30 ए.एम.
पर विशेष न्यायालय आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा कमीशन रिपोर्ट मय नक्शा कागज
सं0 93ग/1 ता 93ग/13 तथा कमीशन कार्यवाही 94ग/1 ता 94ग/10 दाखिल किया
गया है। उपरोक्त कमीशन रिपोर्ट के साथ 3 अलग–अलग सीलबंद बक्सों में
वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी के कैमराविप विशेष न्यायालय आयुक्त श्री विशाल सिंह की
रिपोर्ट के अनुसार दाखिल किया गया है। वाद लिपिक तीनों सीलबंद बक्सों को अपनी
अभिरक्षा में सुरक्षित रखे। कमीशन रिपोर्ट पर पक्षकारों की आपत्तियां आमंत्रित की जाती
हैं।" वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पहले न्यायालय को कमीशन रिपोर्ट
पर पक्षकारों से आपत्ति प्राप्त करते हुए कमीशन रिपोर्ट का निस्तारण करना चाहिये और
उसके पश्चात प्रार्थना–पत्र 35ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का निस्तारण
करना चाहिये।

मैने उभय पक्ष को सुन लिया है एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन कर लिया
है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील हेतु
विशेष अनुमति याचिका सं0 9388/2022 कमेटी आफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया
मसाजिद, वाराणसी बनाम राखी सिंह व अन्य मे आदेश दिनांकित 20.05.2022 पारित
करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये हैं :–

"The application filed by the petioner under Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure 1908 shall be decided on priority by the District Judge upon the transfer of the suit"

"The interim order of this Court dated 17 May 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under Order VII Rule 11 CPC and thereafter for the period of eight weeks so as to enable any party which is aggrieved by the order of the District Judge to pursue its rights and remedies in accordance with law"

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय को यह निर्देश दिया है
कि याची द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र
का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा और इसी बीच माननीय न्यायालय
का अंतरिम आदेश दिनांकित 17.05.2022 प्रभावी रहेगा और तत्पश्चात भी आठ सप्ताह
तक उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों
के अनुपालन में इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर
प्रतिवादी सं0 4 के प्रार्थना–पत्र कागज सं0 35ग का निस्तारण किया जाये और उसके
पश्चात अन्य प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण किया जा सकता है।

पूर्व पीठासीन अधिकारी सिविल जज, सी0डि0, वाराणसी ने आदेश दिनांकित
19.05.2022 पारित करते हुए कमिश्नर रिपोर्ट पर पक्षकारो से आपत्तियां आमंत्रित की
थी। उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी है। अतः उभय पक्ष सात दिन के अंदर कमीश
रिपोर्ट पर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है।

प्रार्थना–पत्र 35ग अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के निस्तारण
पत्रावली दिनांक 26.05.2022 को पेश हो।

जिला न्यायाधी
वाराणसी

WWW.LIVELAW.IN